न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 134/2015/225 आर टी ए

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ

–– अपीलांट

बनाम

1. बस्तीराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. हरीराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मनफूलराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. लेखराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. लिछमणराम पुत्र मलूराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. हजारी पुत्र सूराराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सदरू पुत्र सूराराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. जगदीश पुत्र साहबराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सहदेव पुत्र साहबराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. शेषकरण पुत्र साहबराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. देवकरण पुत्र साहबराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

——

रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 12.09.2014 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 15/2014 अनवानी बस्तीराम आदि बनाम सरकार

उपस्थित :–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट

श्री रामकुमार अधिवक्ता रेस्पोडेंटस

निर्णय दिनांकः–22.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 1 सीएस के खाता सं. 60/59 के प.न. 106/361 मु.न. 17 कि.न. 16 ता 25 की 2.530 है. प.न. 106/362 मु.न. 24 कि.न. 1 ता 20, 21/2 ता 25/2 की 6.200 है0 मय खाला, प.न. 107/362 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 20, 21/2 ता 25/2 की 6.196 है0 कुल 14.926 है0 व चक 14 एमडब्ल्यूएम प.न. 114/364 की 0.606 है0 भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की होने के कारण खातेदारी देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार विधिक प्रावधानो के विपरीत विचारण न्यायालय ने खातेदारी अधिकारी अपीलाधीन निर्णय के जरिये प्रदान किये है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष विद्वान वकुलाय की बहस सुनी।
3. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने सिलिंग सीमा बाबत कोई जांच रेस्पो0 की भूमि से संबंधित नही की एवं अन्य भूमि बाबत कोई रिपोर्ट लिये बिना एवं 1971 मे आवंटन होने संबंधित पत्रावली भी तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत बनाए गए 1971 के प्री व पोस्ट आवंटन नियम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्ट्रावायरस ठहराये जाकर इन नियमो को रिपील कर दिया गया था। इसलिये 1971 मे मुरतिब प्रश्नगत भूमि संबंधित पत्रावली तलब किये बिना एवं उसका अवलोकन किये बिना ही नये सिरे से अपीलाधीन निर्णय के जरिये जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत नही है। विचारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय का यह नैतिक कर्तव्य बनता था कि रेस्पो0 के आवंटन की मूल पत्रावली तलब करते एवं उसमे क्या आदेश पारित हुआ है उसका अवलोकन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित करते परन्तु इस और बिना गौर किये ही बिना कब्जा की जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है व कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य न होते हुए भी रेस्पो0 का आवेदन पत्र स्वीकार करने मे भारी भूल की है। 1955 से पूर्व प्रश्नगत भूमि जिस खसरा नं. मे थी वही वर्तमान भूमि है इस संबंध मे कोई पर्चा खतौनी व खसरा मिलान प्रस्तुत हुए बिना ही पूर्व की भूमि का मिलान किये बिना अपीलाधीन विधि विरूद्ध पारित किया है जो निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने डिले कन्डोन करने का समुचित कारण नहीं बताया है। वादग्रस्त भूमि चक 1 सीएम के खाता सं. 60/59 भूमि माफी कोटवाल सन् 1955 व चक 14 एमडब्ल्यूएम की भूमि सम्वत 2012 से पूर्व की भूमि है जिस पर धारा 15एएए (3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निःशुल्क खातेदाररी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान है। इसी आधार पर रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर धारा 15एएए (3) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी हेतु अनुतोष चाहा गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को वास्ते जांच हेतु आवेदन पत्र भिजवाया गया और बाद जांच प्रश्नोतरी पेश की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने बहस स्टेट की ओर से राजपैरोकार ने कथन किया कि यदि प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि ना हो तो राज्य पक्ष सुरक्षित रखते हुए खातेदारी प्रदान की जावे तो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक जमाबंदी रोही चौहिलावाली सम्वत 2011से 14 तथा नकल पर्चा खतौनी एवं प्रश्नोतरी रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार भी संलग्न है तथा जमाबंदी प्री–55 भी संलग्न है जिसके

अनुसार खसरा नं. 435/9 बिस्वा, 488/25.01 बीघा, 415/65.18 बीघा कुल 91.08 बीघा माफी कोटवाल मली, सुरा, जैसा पिसरान पेमा जाति चमार बहिस्सा बराबर खुदकाश्त दर्ज है। मुताबिक पर्चा खतौनी के रकबा को एसीसी के द्वारा पुख्ता आवंटन भी किया गया है तथा पर्चा खतौनी के अनुसार उक्त रकबा प्रार्थी के पिता को प्री–55 के तहत पुख्ता आवंटन भी होने का नोट अंकित है। मली, सुरा, जैसा पिसरान पेमा फौत होने पर उनके वारिस प्रार्थीगण/रेस्पो0 के नाम से भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा प्री–55 की दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0/प्रार्थीगण की भूमि प्री–55 माफी कोटवाल की भूमि मानते हुए माफी कोटवाल प्री–55 की होने पर धारा 15एएए (3) आरटीए के तहत निःशुल्क खातेदारी अधिकार अपीलाधीन निर्णय के जरिये दिये गये है। ऐसी स्थिति में वर्तमान स्तर पर उक्त साक्ष्यों के विपरीत पत्रावली पर अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं बनती है। जहां तक प्रश्नगत भूमि के सीलिंग सीमा से अधिक होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट का सप्रमाण गणन कथन नही किये है। किन्तु सीलिंग के संदर्भ में सक्षम अधिकारी विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official